राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 3672/2023

1. छोटा राम पुत्र श्री लुम्भा राम, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ढाढनिया पी.एस. बालेसर जिला जोधपुर।
2. श्याम लाल पुत्र श्री झुंझार, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी परखंदा पी.एस. अरनोद जिला प्रतापगढ़।

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से

----प्रतिवादी

अपीलार्थी के लिए : श्री रविन्द्र सिंह

प्रतिवादी के लिए : श्री मुख्तियार खान, पी.पी.

माननीय श्री न्यायमूर्ति फरजंद अली

आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

04/03/2024

1. धारा 482 सीआरपीसी के तहत तत्काल आपराधिक विविध याचिका, विद्वान विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस मामले, प्रतापगढ़ (जिसे आगे 'ट्रायल कोर्ट' कहा जाएगा) द्वारा आपराधिक विविध मामला संख्या 73/2023 (विशेष सत्र मामला संख्या 31/2022) में पारित दिनांक 17.05.2023 के आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा सीआरपीसी की धारा 91 और 311 और साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

2. विस्तृत विवरण के बिना, तत्काल आपराधिक विविध याचिका के निपटान के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता एनडीपीएस अधिनियम के दंडात्मक प्रावधान के तहत अपराध करने के लिए न्यायिक कार्यवाही का सामना कर रहे हैं और उन्हें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/18 और 8/29 के तहत अपराधों के लिए आरोप-पत्र दिया गया है।

3. याचिकाकर्ताओं की ओर से यह दलील दी गई है कि उन पर झूठा मामला थोपा गया है। गिरफ्तारी ज्ञापन और जब्ती ज्ञापन उस समय तैयार नहीं किए गए थे, जो उसमें उल्लेखित है और इस तथ्य की पुष्टि दस्तावेजों के उत्पादन से की जा सकती है, जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में हैं। यह तर्क दिया गया कि पुलिस अधिकारी, जिनके नाम जब्ती ज्ञापन में उल्लेखित हैं, वे उस समय और स्थान पर मौजूद नहीं थे, जैसा कि उन्हें कागजात में दर्शाया गया है और इस तरह ज्ञापन हास्यास्पद हैं, क्योंकि प्रासंगिक समय पर न तो याचिकाकर्ता और न ही पुलिस अधिकारी, जिनके नाम आवेदन में उल्लेखित हैं, अपराध स्थल पर मौजूद थे। वास्तव में सभी कागजात पुलिस द्वारा पुलिस स्टेशन में उस समय तैयार किए गए थे, जो उल्लेखित समय से अलग था।

4. यह दलील दी गई है कि उपरोक्त तथ्य की पुष्टि पुलिस अधिकारियों के पास मौजूद मोबाइल फोन के कॉल डेटा रिकॉर्ड और टावर लोकेशन की प्रस्तुति से की जा सकती है। पुलिस अधिकारियों के मोबाइल फोन के कॉल विवरण और टावर लोकेशन को तलब करने के लिए प्रार्थना की गई थी, जिनके नाम आवेदन में दिए गए हैं, दिनांक 16.05.2022 और 17.05.2022 की तारीखों के, ताकि सच्चाई सामने आ सके। उक्त आवेदन को ट्रायल कोर्ट ने आरोप के तहत आदेश द्वारा खारिज कर दिया है।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील और विद्वान सरकारी अभियोजक को सुना गया और मामले की बारीकियों पर विचार किया गया।

6. आत्मरक्षा करना न केवल वैधानिक बल्कि भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा।

7. मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में एआईआर 1978 एससी 597 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमेशा निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए और यह मनमानी, दमनकारी या अनुचित नहीं हो सकती।

8. आपराधिक न्यायशास्त्र का मूल सिद्धांत यह है कि अभियोजन पक्ष पर हमेशा यह दायित्व होता है कि वह अपने मामले को हर उचित संदेह से परे साबित करे। हालांकि कुछ क़ानूनों में रिवर्स बर्डन थ्योरी को भी अपनाया गया है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जब अभियोजन पक्ष किसी अभियुक्त को किसी निश्चित दोषपूर्ण कार्य के लिए दंडित करने के लिए मामला लाता है, तो अभियोजन पक्ष पर यह अनिवार्य

है; बल्कि, यह एक दायित्व है कि वह आरोपों को साबित करने के लिए ठोस, विश्वसनीय और निर्विवाद साक्ष्य प्रस्तुत करे, जो मौखिक या दस्तावेज़ी साक्ष्य के रूप में हो सकता है। जब अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अभियुक्तों को किसी विशेष स्थान से किसी विशेष समय पर पकड़ा गया था, तो यह उन पर उचित संदेह से परे तथ्य को स्थापित करने का दायित्व होगा।

9. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अभियुक्त पर उपरोक्त तथ्यों को गलत साबित करने का कोई दायित्व नहीं है, बल्कि अभी तक साबित करने, गलत साबित करने या न साबित करने का चरण नहीं आया है।

10. बचाव पक्ष का कहना है कि अभियोजन पक्ष ने झूठे साक्ष्य गढ़कर झूठी कहानी गढ़ी है और आरोप-पत्र में बताई गई पूरी कहानी झूठ का पुलिंदा है। उनका कहना है कि अगर वह सामग्री, जिसके लिए समन की प्रार्थना की गई है, रिकॉर्ड पर ले ली जाती है तो अभियोजन पक्ष का पूरा मामला ही खत्म हो जाएगा।

11. इस न्यायालय का मानना है कि यदि अभियुक्त के अधिकारों को सुरक्षित रखने और बचाने के उद्देश्य से तथा न्याय के लिए, यदि कहानी के पीछे की सच्चाई को सामने लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को बुलाने की प्रार्थना की जाती है, तो ऐसी प्रार्थना को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। जब यह दावा किया जाता है कि जो गलत है, उसे गलत साबित किया जा सकता है और अंत में इसके विपरीत भी, ताकि सच्चाई सामने आ सके, तो बचाव पक्ष को एक अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अवसर न देने का अर्थ होगा उन्हें आरोपों का मुकाबला करने या अपना बचाव करने से वंचित करना और साथ ही सत्य के प्रवेश के लिए न्याय का द्वार बंद करना।

12. यह सही है कि मुकदमा शुरू होने के बाद अभियोजन पक्ष को आरोपों के समर्थन में साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया जा रहा है, जिसके बाद अभियुक्त से सीआरपीसी की धारा 313 के तहत स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और फिर सीआरपीसी की धारा 233 के तहत बचाव में प्रवेश करने का चरण आएगा। यह भी सही है कि जब तक बचाव पक्ष के साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लेने का चरण नहीं आता है, तब तक बचाव पक्ष के साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लेने की आवश्यकता नहीं है और उस उद्देश्य के लिए कोई बचाव सामग्री नहीं बुलाई जाएगी, लेकिन यहां बचाव पक्ष के साक्ष्य लेने या पेश करने या उस पर भरोसा करने का सवाल नहीं है, बल्कि यह देखा गया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नियमों और विनियमों के अनुसार, कॉल रिकॉर्ड का डेटा एक वर्ष बीत जाने के बाद स्वचालित रूप से हटा दिया जाता है, फिर डेटा को सहेजना न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है ताकि बचाव पक्ष या

कोई अन्य पक्ष उचित चरण में इसका उपयोग कर सके। वास्तव में, डेटा को नष्ट करने से बचाने/संग्रहित करने/संरक्षित करने का आदेश देने का यह मतलब नहीं होगा कि समय से पहले बचाव पक्ष के सबूत ले लिए गए हैं।

13. इसका मतलब यह नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डिलीट होने से बचाने के लिए सीआरपीसी की धारा 91 के तहत आवेदन को स्वीकार करना और उसे रिकॉर्ड पर रखने के लिए समन करना, बचाव पक्ष के साक्ष्य को शुरुआती चरण में लेना होगा; बल्कि, यह केवल सबूतों को नष्ट होने से बचाने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। वास्तव में, बचाव पक्ष के साक्ष्य को सीआरपीसी की धारा 233 के चरण के आने के बाद लिया जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा। न्यायालय को महत्वपूर्ण साक्ष्य को गायब या नुकसान पहुँचाना बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, जिसकी उपस्थिति सत्य को प्रदर्शित करेगी जिसका आगे अर्थ यह होगा कि सत्य की जीत होगी, सत्य को झूठ से अलग किया जाएगा।

14. यह समझ में नहीं आता कि यदि महत्वपूर्ण साक्ष्य, जो आरोपों के निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, को तब तक सहेजा, संग्रहीत, संरक्षित और नष्ट होने से बचाया जाए, जब तक कि उस साक्ष्य पर विचार करने का वास्तविक चरण न आ जाए, तो इसमें क्या हानि है।

15. इस न्यायालय का दृढ़ मत है कि यदि अभियुक्तगण पुलिस अधिकारियों के कॉल डेटा रिकॉर्ड और टावर लोकेशन रिकॉर्ड को तलब करने के लिए प्रार्थना करने में जोखिम उठा रहे हैं, जो दावा करते हैं कि उन्होंने अभियुक्तगणों को एक विशेष स्थान से और एक विशेष समय पर पकड़ा था, जिसे यदि प्रस्तुत किया जाता है और वास्तविक पाया जाता है तो यह उनके खिलाफ एक और सबूत हो सकता है क्योंकि अभियोजन पक्ष की कहानी वास्तविक साबित होगी, हालांकि, कल्पना करें कि यदि पुलिस अधिकारियों के कॉल डेटा रिकॉर्ड और टावर लोकेशन जब्ती ज्ञापन में उल्लिखित समय और स्थान से मेल नहीं खाते हैं, तो यह आरोप-पत्र में बताई गई कहानी पर एक गंभीर सेंध हो सकती है और इसलिए सामग्री को हटाने से बचाने के उद्देश्य से समय से पहले भी तलब करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। न्यायालयों का मुख्य उद्देश्य न्याय प्रदान करना है और इसी उद्देश्य के लिए यह स्थापित किया गया है। यदि कोई सत्य को इंगित करने वाली बात रिकॉर्ड पर आती है, तो मेरी राय में उसे अनुमति न देने का मतलब सत्य को छिपाना होगा।

16. अभियुक्त को आरोपों को गलत साबित करने का अवसर क्यों नहीं दिया जा सकता, हालांकि ऐसे साक्ष्य पर न तो उसके वास्तविक चरण से पहले विचार किया

जाएगा और न ही उस पर कोई निष्कर्ष दिया जाएगा, लेकिन कम से कम साक्ष्य के सुरक्षा/संरक्षण के लिए आदेश अवश्य पारित किया जा सकता है।

17. सीआरपीसी की धारा 91 और 311 को एक साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि जब भी न्यायालय को ऐसा लगे कि मामले के न्यायपूर्ण निर्णय के लिए कोई साक्ष्य आवश्यक है, तो वह मुकदमे के किसी भी चरण में ऐसे साक्ष्य या गवाह को बुला सकता है या वापस बुला सकता है। मुकदमे की समाप्ति के बाद और अपील के लंबित रहने के दौरान भी न्यायालय सीआरपीसी की धारा 391 का सहारा लेकर ऐसा कार्य कर सकता है क्योंकि न्यायालय का अंतिम उद्देश्य न्याय और केवल न्याय प्रदान करना है।

18. सत्य और झूठ के बीच अंतर करने के उद्देश्य से, कानून का यह कार्य पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान करना है ताकि न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने का अंतिम कार्य प्राप्त किया जा सके।

19. उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, यह उचित समझा गया कि अभियुक्त याचिकाकर्ताओं की ओर से सीआरपीसी की धारा 91 और 311 तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के तहत ट्रायल कोर्ट के समक्ष दिनांक 12.05.202 को प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार किया जाए।

20. तदनुसार, यह आपराधिक विविध याचिका स्वीकार की जाती है।

21. यह आदेश दिया जाता है कि आपराधिक विविध मामला संख्या 73/2023 में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दिनांक 17.05.2023 के आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अपास्त किया जाता है और याचिकाकर्ताओं द्वारा सीआरपीसी की धारा 91 और 311 और साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत ट्रायल कोर्ट के समक्ष दिनांक 12.05.2023 को प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार किया जाता है।

22. विद्वान ट्रायल कोर्ट प्रतिवादी-राज्य, पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ संबंधित मोबाइल नंबरों की सेवा प्रदाता कंपनी को पुलिस अधिकारियों के अपेक्षित कॉल विवरण और टावर लोकेशन उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक निर्देश देगा, जिनके नाम दिनांक 12.05.2023 के आवेदन के पैरा संख्या 4, 5 और 6 में उल्लिखित हैं। संबंधित पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी को भी उपरोक्त साक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करने का निर्देश दिया जाएगा ताकि उन्हें नष्ट, गायब और हटाए जाने से रोका जा सके। उपरोक्त साक्ष्य प्राप्त करने के बाद, ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि वह इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के तहत प्रमाणीकरण के साथ मामले के रिकॉर्ड पर रखे और इसका उपयोग दोनों पक्षों द्वारा गवाहों की परीक्षा के दौरान किया जा सके। आरोपी को प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड

के साथ संबंधित पुलिस अधिकारियों से सवाल पूछने की अनुमति होगी। उपरोक्त कार्य की अनुमति केवल गवाहों की विश्वसनीयता का पता लगाने या उसे झकझोरने तथा पक्षकारों को सत्य को अभिलेख पर लाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से दी गई है, जिसका अर्थ बचाव पक्ष के साक्ष्य को प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की क्रॉस चेकिंग करना है।

23. स्थगन याचिका का भी निपटारा किया जाता है।

(**फ़रज़ंद अली**),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।